यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 33 लाख की ठगी

आरोपियों ने युवक से पैसे ले लिए और विदेश भेज दिया, लेकिन वहां पर बताई गई नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली

श्रीगंगानगर, (निसं)। यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक से पैसे ले लिए और विदेश भेज दिया। लेकिन वहां पर उसे बताई गई नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली। आरोपी अब पैसे लौटाने से मना कर रहे हैं। मामला श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस को दी रिपोर्ट में राजकुमार (45) निवासी साधुवाली (श्रीगंगानगर) में बताया कि उसका बेटा सागर 12वीं पास कर यूके में पढ़ाई करना चाहता था। मई 2025 में शिकायतकर्ता व उसके बेटे की जान-पहचान साधुवाली के अनुराग नाम के शख्स से हुई। अनुराग ने 22 लाख में स्टडी वीजा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा दिया। जब राजकुमार ने पैसे नहीं होने की बात कही तो अनुराग ने उसे स्टडी लोन दिलवाने की बात कही। जिसके बाद आरोपियों ने राजकुमार के बेटे का स्टडी लोन अप्रुव करवा दिया। कुछ दिनों बाद युवक के अकाउंट में 33.87 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। इसके बाद ठगों ने बाप-बेटे की चेकबुक, एटीएम कार्ड और पासवर्ड व खाली स्टाम्प अपने पास रख लिए। 24 से 28 जुलाई 2025 के बीच आरोपी अनुराग, नवल और साहिल ने युवक के अकाउंट से अलग-अलग बैंक अकाउंट में 33 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर कर लिए। जिसके बाद आरोपियों ने परिवार को बताया गया कि ब्रिस्टल (यूके) की यूनिवर्सिटी में सागर का एडमिशन हो गया। सागर की फीस जमा हो गई और वीजा आ गया।

तीन अगस्त को सागर को दिल्ली से यूके भेज दिया गया। ब्रिस्टल पहुंचते ही सागर को पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी का पता अनुराग ने दिया था, वहां ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। जिसके बाद सागर ने पिता को फोन किया। राजकुमार जब अनुराग के इमीग्रेशन ऑफिस पहुंचे तो ठगों ने कहा कि उन्होंने ठगी की है और पहले भी ऐसे कई केस उनके खिलाफ हैं। आरोपियों ने चेकबुक-एटीएम कार्ड लौटाने से भी मना कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह कर रहे हैं।

सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों की चोरी :- श्रीगंगानगर में सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात व कैश चोरी करने का मामला सामने आया है। मकान मालिक अपने परिवार के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने मकान में धावा बोल दिया और चोरी कर भाग गए। घटना श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में मकान मालिक मालिक महेश चंद (47) निवासी कृपाल नगर, सेतिया कॉलोनी (श्रीगंगानगर) ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ खाटूश्यामजी (सीकर) के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान पीछे से उनके बंद पड़े मकान में चोरी हो गई। चोर मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और अलमारी में रखे पांच लाख कैश चोरी कर भाग गए। वह जब (मकान मालिक और परिवार) अपने घर वापस लौटे तो देखा कि मकान में टूटे हुए ताले लटके रहे थे और मकान में चोरी हो चुकी थी। अंदर सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को रिपोर्ट दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नापासर में इंडस्ट्रियल ऑयल फैक्टरी की जांच पूरी

- फैक्टरी में इंडस्ट्रीयल ऑयल को बॉयोडीजल बताकर बेचे जाने के मामले में रसद विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ
- जांच में सामने आया है कि परिसर में भूमिगत टैंकों से लेकर प्लास्टिक टंकियों तक में करीब 3 लाख 14 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था
- जांच के दौरान फर्म न तो वैध एंड यूज प्रमाणपत्र पेश कर सकी और न ही उत्पाद के भंडारण, परिवहन या बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड

बीकानेर, (निसं)। जिले के नापासर स्थित कनकश्री केमिकल फैक्टरी में इंडस्ट्रीयल ऑयल को बॉयोडीजल बताकर बेचे जाने के मामले में रसद विभाग की जांच ने बड़ा खुलासा कर दिया है। फैक्टरी को पहले ही सीज कर दिया गया था, लेकिन अब विभाग की विस्तृत जांच में सामने आया है कि परिसर में भूमिगत टैंकों से लेकर प्लास्टिक टंकियों तक में कुल करीब 3 लाख 14 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था।

जांच के दौरान फर्म न तो वैध एंड यूज प्रमाणपत्र पेश कर सकी और न ही उत्पाद के भंडारण, परिवहन या बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड। सुरक्षा मानकों की स्थिति भी बेहद खराब मिली। अग्निशमन उपकरण गायब, स्टोरेज अनियमित और टैंकों का रिकॉर्ड भी संदिग्ध था। जांच टीम ने मौके से सैंपल लेकर उन्हें फॉरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा है और रिपोर्ट आने तक फैक्टरी के संचालन पर पूर्ण रोक बरकरार रहेगी।

गौरतलब है कि कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने इस फैक्टरी पर छापा मारकर गोरखधंधे का खुलासा किया था। जांच से पता चलता है कि यह कोई एक-दो टैंकर का खेल नहीं था। 3 लाख लीटर से अधिक स्टॉक का मतलब है कि सप्लाई चेन बेहद विस्तृत है। छोटे वाहनों में लोडिंग यानी बाजार में अवैध तरीके से यह इंडस्ट्रीयल ऑयल बॉयोडीजल के नाम पर बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा था। मंत्री के छापे के बाद भी किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई न होना इस नेटवर्क की सुरक्षा छतरी की ओर इशारा करता है।

जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 6 नवंबर की रात भारत माला रोड पर एक युवक को एक गाड़ी में संदिग्ध बॉयोडीजल भरते देखा। इसके बाद मंत्री मीणा उस युवक सहित नापासर स्थित कनकश्री फैक्टरी पहुंचे। मौके पर चालक ने कहा हम पुलिस को बंधी देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। मंत्री मौके पर पहुंचे तो वहां छोटी गाड़ियों में फ्यूल भराई जारी मिली। उसी रात फैक्टरी सील, फिर रसद विभाग ने विस्तृत जांच शुरू की।

सिलेंडर फटने की घटना के बाद हुआ अवैध गैस कारोबार का पर्दाफाश

- अवैध गैस कारोबार की पुलिस और रसद विभाग को जानकारी तक नहीं थी

बीकानेर, (निसं)। करणी औद्योगिक क्षेत्र में हुए सिलेंडर विस्फोट के बाद शुरू हुई जांच ने शहर में लंबे समय से चल रहे अवैध गैस कारोबार को बेनकाब कर दिया है। हादसे के अगले ही दिन जिले में रसद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। यह पूरी कार्रवाई न केवल विस्फोट की वजह तलाशने के लिए की गई, बल्कि इसने यह भी उजागर कर दिया कि औद्योगिक क्षेत्र की दुकानों में किस प्रकार बड़े पैमाने पर अवैध रूप से घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर जमा किए जा रहे थे।

फायर ब्रिगेड टीम को मिली शुरुआती सूचना मामूली नहीं थी। इसी सूचना के आधार पर जब प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची, तो एक नहीं बल्कि दो दुकानों में भारी संख्या में सिलेंडरों का जखीरा मिला। पुलिस की मौजूदगी में ताले तोड़कर जब दुकानें खोली गईं, तो भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। घरेलू और कमर्शियल, दोनों प्रकार के कुल 108 अवैध सिलेंडर भरे पड़े थे, जिन्हें तुरंत जब्त कर सुरक्षित गोदाम में रखा गया। इस कार्रवाई के बाद अब पूरा मामला गैस एजेंसियों से लेकर सप्लाई चेन तक कई सवालों के घेरे में आ गया है। पुलिस और विभाग की टीमें विस्फोट की असली वजह और सिलेंडरों की सप्लाई की कड़ियों का विश्लेषण कर रही हैं। इतने सिलेंडर एक दुकान तक कैसे पहुंचे यह सवाल बड़ा है, जब गैस कंपनियां ई-केवाईसी, आधार-लिंक उपभोक्ता सत्यापन और रिफिल मॉनिटरिंग सिस्टम चला रही हैं, तब सैकड़ों सिलेंडर एक साथ एक दुकान में कैसे पहुंच जाते हैं?

रसद विभाग के सूत्र बताते हैं कि बड़ी मात्रा में सिलेंडर इकट्ठा होना तभी संभव है जब, गैस एजेंसियों से गलत डिलीवरी की मिलीभगत हो, डोमेस्टिक सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग हो, कई फर्जी-दोहराए गए उपभोक्ता आईडी का इस्तेमाल हो या फिर यह सब स्थानीय स्तर पर अवैध रीफिलिंग के लिए किया जाए। मुद्दा यह भी उठता है कि क्या रसद विभाग हर कार्रवाई के बाद संबंधित गैस एजेंसियों की बुकिंग-डिलीवरी पैटर्न की जांच करता है क्योंकि जब तक सप्लाई चैन में सेंध का पता नहीं लगेगा, दुकानों पर छापे केवल बाहरी परतें ही हटाएंगे, जड़ नहीं।

22 को गंगा प्रवाह यात्रा अलवर आएगी

अलवर, (निसं)। भाजपा जिला कार्यालय अलवर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया प्रेस वार्ता को प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने संबोधित किया। जितेंद्र कुमार गोठवाल ने बताया कि अखंडता एवं एकता के प्रतिक सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, उनके योगदानों एवम राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक भूमिका को जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सरदार पटेल 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान में गंगा प्रवाह व यमुना प्रवाह यात्रा निकलेगी। आगामी 22 नवंबर को दिल्ली से चलकर गंगा प्रवाह यात्रा अलवर आएगी। इस यात्रा में युवा मोर्चा के 320 कार्यकर्ताओं का दल अलवर आएगा। अलवर में यात्रा के प्रवेश पर राजस्थानी संस्कृति व परंपरा अनुरूप भव्य स्वागत होगा।

गेहूं से भरा ट्रक सड़क में धंसा

भीलवाड़ा में गेहूं से भरा ट्रक सपाट सड़क में धंस गया।

- लोगों ने आरोप ने लगाया कि सीवरेज का निर्माण कार्य घटिया स्तर का किया जा रहा है

भीलवाड़ा, (निसं)। नगर निगम की ओर से सीवरेज का कितना घटिया स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी बानगी बुधवार को देखने को मिली। पुलिस लाइन क्षेत्र में एक ट्रक गेहूं से भरकर जा रहा था। तभी सपाट सड़क में धंस गया। एक बारगी तो ट्रक ड्राइवर भी हैरान रह गया। वह नीचे उतरा दूसरे लोगों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन जब ट्रक की हालत देखी तो क्रेन ही बुलानी पड़ी। पहले पिकअप में गेहूं की बोरियां खाली कराई गई, बाद में क्रेन की मदद से निकाला जा सका।

लोगों ने आरोप ने लगाया कि पटरी पार सीवरेज का निर्माण कार्य घटिया स्तर का किया जा रहा है लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। हालात ये है कि इन वार्डों के पार्षद भी नगर निगम की ओर से कराए जा रहे कार्यों का विरोध नहीं करते हैं, जबकि पहले रुडिप की ओर से कराए जा रहे सीवरेज कार्य के विरोध के लिए एकमत हो रखे थे। पार्षद हो या प्रशासनिक अधिकारी या फिर समाजसेवी सभी उसके विरोध में उतरे हुए थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि एक बार आप इन वार्डों में घूम कर देखिए, आपको पता चलेगा कितने मुश्किल हालात में रहने को मजबूर है।

युवक की मौत

जोधपुर, (कासं)। मथानिया स्थित उम्मेद नगर में बुधवार की सुबह एक युवक का संदिग्ध हालात में शव मिला। आंख के पास में हल्की चोट दिखाई दी। परिजन ने हत्या किए जाने की आशंका में मथानिया थाने में पड़ौसी के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रात में युवक पड़ौसी के घर पर बर्थ डे पार्टी में गया था। रात भर से घर नहीं लौटा आज सुबह शव मिला। इधर आक्रोशित लोगों ने उम्मेद नगर में रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और बाद में रास्ता खुलवाया। शव को दोपहर में एमजीएच की मोर्चरी में लाकर रखा गया। जहां मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करवाया गया।

एसीपी मंडोर अनिल शर्मा ने बताया मथानिया स्थित उम्मेद नगर नट बस्ती का रहने वाला 22 वर्षीय कमलेश पुत्र प्रेमाराम नट का शव आज सुबह उसके घर के सामने रहने वाले पड़ौसी के यहां पर नजदीक में मिला। सुबह साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली और उसकी हत्या किए जाने की जानकारी दी गई।

रिश्वत मामले में तीन एमईएस अफसरों को सजा सुनाई

सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुए तीन बड़े मामलों में फैसला सुनाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। जोधपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने श्रीगंगानगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुए तीन बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में सनसनीखेज फैसला सुनाया। रिश्वत मामले में तीन एमईएस अफसरों को सजा सुनाई।

ठेकेदार दीपक अनेजा की शिकायत पर 12 अप्रैल 2016 को सीबीआई ने रिश्वत लेते तीन अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। साढ़े नौ साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार अब देश की रीढ़ तोड़ रहा है! इस केस के करीब साढ़े नौ साल बाद 18 नवंबर को सुनाए गए फैसले में अकाउंट्स ऑफिसर हरिसिंह नागले और अनिल बेटगिरी को दोषी करार देते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई गई, जबकि राधेश्याम सोनी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 साल की सजा सुनाई। वहीं, यूडीसी हेतराम और एन.एन. मोहंती को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। तीनों मामलों में सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक भगवानसिंह भंवरिया ने पैरवी की, जबकि अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट जे.के. चांडा व अन्य ने पैरवी की।

न्यायालय ने अपने फैसले में भ्रष्टाचार के गंभीर प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक विशाल समस्या बन गई है और यह सर्वत्र फैल गई है। किसी भी सार्वजनिक गतिविधि का कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार की दुर्गंध से अप्रभावित नहीं रहा है। इसका गहरा और व्यापक प्रभाव पूरे देश के कामकाज पर पड़ता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों में बाधा डालता है और सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

भरतपुर में आवासहीनों ने किया प्रदर्शन

आवासहीनों ने नगर निगम भरतपुर के गेट पर प्रदर्शन किया।

भरतपुर, (निसं)। आवासहीनों को आवास या जमीन दिलाये जाने के सिलसिले में आवासहीन जन संघर्ष समिति भरतपुर-राजस्थान के बैनर तले नगर निगम भरतपुर के गेट पर लगभग 300 महिलाओं व पुरूषों ने धरना देकर नारे लगाये। इसके बाद लगभग बीसीयों प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को ज्ञापन देते समय स्पष्ट तौर से चेतावनी दी कि यदि अविलम्ब हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम पर लगातार और सहपरिवार पड़ाव डाला जायेगा और आन्दोलन को निरन्तर तेज किया जायेगा, जिसकी सारी जवाबदेही निगम प्रशासन की होगी।

इस मौके पर कामरेड नत्थीलाल ने कहा कि सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना होते हुए भी गरीब आवासहीनों को इस मंहगाई और बेरोजगारी के दौर में संघर्ष करना पड़ रहा है। इस धरना आन्दोलन का नेतृत्व कामरेड नत्थीलाल, यादराम प्रजापत अध्यक्ष, कलुआ खान महासचिव, अशोक कपूर, रम्मो सिंह हवलदार, अशोक कुमार जघीना, डॉ. नवलिका, एड. रूचि गर्ग, सुमन योगी, ओमवती, सुनीता, गुड्डी, पूनम, उमेश नायक आदि ने किया।

राजस्थान हाईकोर्ट : सर्विस बुक की अनुपलब्धता पेंशन में बाधक नहीं

- सफाईकर्मी के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली में कार्यरत कर्मचारी की रिट याचिका स्वीकार

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश फरजंद अली ने सफाईकर्मी के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली में कार्यरत रमेश नामक कर्मचारी की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उसे पेंशन व पेंशन संबंधी सभी लाभ दो माह में प्रदान करने व दो माह में प्रदान नहीं करने पर उसे 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रदान करने का आदेश पारित किया।

कर्मचारी रमेश की नियुक्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली में सफाई कर्मचारी के पद पर वर्ष 1979 हुई थी। कालान्तर में सेवानिवृत की आयु को प्राप्त करने पर उसे 31 अगस्त 2018 से सेवानिवृत कर दिया गया। सेवानिवृत के पश्चात् विभाग द्वारा उसके विरूद्ध कोई विभागीय जांच या अपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, मगर उसे सेवानिवृति संबंधी लाभ प्रदान नहीं किये गये। केवल प्रोविजनल पेंशन जारी की गयी।

इस पर उसने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक विधिक नोटिस प्रेषित किया। विधिक नोटिस के जवाब में विभाग 01 मार्च 2019 को पत्र द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि उसकी सर्विस बुक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किये जा सकते।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर रमेश ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क था कि किसी भी कर्मचारी की सर्विस बुक का संधारण उसके नियोक्ता द्वारा किया जाता है जो, उसके कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करता है ना कि कर्मचारी द्वारा। प्रार्थी की सर्विस बुक उपलबध ना होना में गलती कर्मचारी की ना होकर नियोक्ता की है। नियोक्ता ही सर्विस बुक का संधारण करता है व समय-समय पर उसमें प्रविष्टिया भी अंकित करता है। सर्विस बुक की अनुपलब्धता के कारण कार्मिक की पेंशन रोकना सर्वथा अनुचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन था कि राजस्थान कर्मचारी पेंशन नियम का नियम 89 यह कहता है कि किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृति से दो माह के भीतर उसे पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करना नियोक्ता का दायित्व है अन्यथा कर्मचारी 9 प्रतिशत पेंशन पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिवक्ता का आगे यह भी कथन था कि वर्तमान वाद में प्रार्थी वर्ष 2018 में सेवानिवृत हुआ व उसे आज तक पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किये गये। विभाग द्वारा उसे वैकल्पिक पेंशन प्रदान कर इतिश्री कर ली गयी जो अनुचित व विधि विरूद्ध है।

राज्य सरकार की ओर से जवाब में यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी की सर्विस बुक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे सेवानिवृत परिलाभ प्रदान नहीं किया गये। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने प्रार्थी रमेश की द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी कि सर्विस बुक भी अनुपलब्धा कार्मिक की पेंशन देने में बाधक नहीं हो सकता। प्रार्थी को पेंशन नियम के तहत उसे दो माह में पेंशन प्रदान भी जाये और दो माह में प्रदान नहीं करने पर राजस्थान पेंशन विभाग के नियम 89 के तहत उसे 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी जिस दिन से यह सेवानिवृत हुआ है उस दिन से लेकर जब पेंशन प्रदान की जाती है तब तक का प्रदान किया जावे।

गैस रिसाव की परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रील

जिला प्रशासन द्वारा गैस रिसाव की परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रील का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

अलवर, (निसं)। राजस्थान आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत गैस रिसाव (केमिकल डिजास्टर) की परिस्थितियों से निपटने के लिए गुरूवार को एमआईए स्थित लॉड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राहत एवं बचाव से जुड़े अन्य सुरक्षाकर्मियों का मॉक ड्रील का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर एवं इंसीडेंट मजिस्ट्रेट बीना महावर के निर्देशन में मॉक ड्रील के तहत किए गए बचाव एवं राहत कार्य संपादित किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ने बताया कि जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में आपातकालीन परिस्थितियों में गैस रिसाव की समस्या से निपटने के लिए मॉक ड्रील का आयोजन किया गया जिसके तहत एमआईए स्थित लॉड्स क्लोरो एलक्लीज कम्पनी लि. में क्लोरीन स्टोरेज टैंक से गैस के रिसाव की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कम्पनी के 32 कार्मिक बेहोश हो गए। सूचना प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम से संबंधित राहत दलों एवं अधिकारी को त्वरित सूचना प्रसारित की गई, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा दल, सिविल डिफेन्स, स्काउट व गाइड, एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के दलों ने तुरन्त मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किया। गैस लीकेज के दौरान काम में आने वाले मास्क एवं विशेष ड्रेस पहनकर राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दिया गया। मॉक ड्रील के दौरान एनडीआरएफ 6वीं बटालियन गुजरात से आए ऑफिसर इंचार्ज डॉ. परमिंदर सिंह ने गैस रिसाव से होने वाली क्षति के तहत आपातकालीन अलार्म का उपयोग, राहत कार्यों का प्रदर्शन एवं रखी जाने वाली विशेष सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीबीआरएन से बचाव संबंधित उपकरणों एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के तरीकों एलसीएएल में फंस रहे लोगों को बचाने का प्रदर्शन किया गया जिसमें लीकेज अरेस्ट करने, रेस्क्यू करने विभिन्न तकनीक तथा उपकरणों आदि से निकलने की तकनीकी जानकारी दी गई।

इस दौरान जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रवीन्द्र, एडीएम द्वितीय योगेश डागुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय काम्बले शरण गोपीनाथ, नगर निगम के आयुक्त सोहन सिंह नरूका, उपखण्ड अधिकारी अलवर माधव भारद्वाज, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महेश बैरवा, जीएम डीआईसी एम.आर. मीणा, पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियन्ता अल्का व्यास, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट संजय गुर्जर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

उड़ान स्कूल का नया भवन शहर को समर्पित

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद छावनी क्षेत्र में विशेष बच्चों के लिए उम्मीदों का नया केंद्र बन चुका 'उड़ान स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन' बुधवार को अपने आधुनिक स्वरूप में शहर को समर्पित किया गया। जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद आयोजित इस भव्य उद्घाटन समारोह में छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरिश कुमार और सोनिका ने विद्यालय का लोकार्पण किया।

समारोह में मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉ. नीतिश गुप्ता, एम एच कमांडर आर के यादव और मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया उपस्थित रहे। अनेक आर्मी अधिकारी, अभिभावक और स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान चलाए गए वीडियो में उड़ान स्कूल की पुरानी और नई तस्वीरें साथ दिखाई गईं। पुरानी स्थिति देखकर यह महसूस किया गया कि पहले भवन इतना जर्जर था कि अंदर प्रवेश करते समय भी डर लगता था। दीवारों की टूट-फूट, फर्श की जर्जरता और सीमित सुविधाओं ने वर्षों तक बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न की थी, लेकिन अब वही भवन आधुनिक, सुरक्षित और आकर्षक मॉडल स्कूल का रूप लेकर खड़ा है।

छात्र से मारपीट मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन

कारोबारी के नाबालिग बेटे के साथ मारपीट और गलत हरकत का मामला

अजमेर,(निसं)। कारोबारी के नाबालिग बेटे के साथ मारपीट और अश्लील हरकत के मामले ने बुधवार को नया मोड़ ले लिया। मामले में पुलिस कार्रवाई धीमी होने और स्कूल प्रबंधन द्वारा शिकायत के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई न करने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मयूर स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता स्कूल गेट पर चढ़कर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की और झड़प तक हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पूतला जलाकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त जाप्ता बुलाकर माहौल शांत कराया।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील लारा के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता स्कूल के मुख्यद्वार पर पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लारा ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की। स्कूल प्राचार्य संजय खाती मामले को दबाते नजर आए। उन्होंने प्राचार्य को हटाए जाने की मांग करते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई।

पीड़ित छात्र के पिता और चाचा दोनों ने पुलिस में अलग-अलग शिकायत दर्ज करवाई हैं। दोनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि स्कूल के 3-4 छात्रों ने उनके नाबालिग पुत्र को रास्ते में रोककर बेसबॉल के डंडे से पिटाई कर उसके कपड़े उतरवाए, उठक-बैठक लगवाई और अश्लील हरकत की। मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि दोषी छात्र लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हीरोपंती निकाल देंगे। चाचा ने बताया कि भतीजा कई दिनों से डिप्रेशन में था और डर के कारण कुछ नहीं बता पा रहा था। प्रदर्शन के दौरान पी.सी.सी. सचिव डॉ. सुनील लारा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पवन ओड, दुर्विका सिसोदिया, हिमेश गोयर, नितिन चौधरी, रोहन बैरवा, ठाकुर घारू, हर्षित लोट, अनमोल घारू, मोहित खन्ना, राजवीर गुर्जर, जितेश मोहनपुरिया, कार्तिक छबरीबंद, विशाल गोयर, अभिषेक, रियान सहित काफी संख्या में एन.एस.यू.आई छात्र मौजूद रहे।

सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि चाचा की शिकायत पर 3 छात्रों पर पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं अलवर गेट थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ ने कहा कि पिता की शिकायत पर 4 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है।